

6

Government of Rajasthan
Revenue Department

No: प० 6(4)राजस्व-6/01/1

दिनांक - १५.१.०३

रामसत्ता संभागीय आयुक्ता, राजस्थान।
रामसत्ता ज़िला कलेक्टर, राजस्थान।

परिपत्र

विषय :- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के
लिए छात्रावास, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, गवन आदि के निर्णय के
लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन।

जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक प.6(4)राजस्व/6/2001/28 दिनांक 21 मई, 2001 के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन वर्गों के लोगों को सामुदायिक केन्द्र के लिए 5/16 एकड़, छात्रावास एवं स्कूल भवन के लिए 2-2 एकड़ निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया है। हन रामसत्ता निर्णयों की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा जारी पुस्तिका "संकलन" में भी दी गयी है, जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की कियान्विति का दायित्व जिला कलेक्टरों पर है। मेरे ध्यान में यह लागा गया है कि कुछ जिलों में इस तरह की भूमि आवंटन के प्रस्ताव लागियत चले आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रस्तावों को अपने रासर पर देखें तथा उन्हें राज्य सरकार के रौप्य भिजवाने की व्यवस्था करें। यदिया मैं ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हों तो उन्हें पूर्ण करवाकर राज्य सरकार को शीघ्रता से भिजवाया जाए।

मैं यह भी आशा करता हूं कि आप राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचायें ताकि जाति समर्वित योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। आप द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में कृपया राजस्व राजिय को रूचित करें।

१५.१.०३

(आर.के. नायर)